

समाहरणालय मधेपुरा।

जिला आपूर्ति शाखा)

आदेश

सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-9035/खाद्य दिनांक-02.12.2015 द्वारा माह-दिसम्बर,2015 के लिए किरासन तेल का मासिक आवंटन प्राप्त हुआ है। विभागीय पत्रांक-3550/खाद्य,दिनांक-18.06.2014 में दिए गए मार्ग-दर्शन के अनुरूप उपलब्ध कराये गये किरासन तेल की मात्रा के अन्तर्गत उपभोक्ताओं के बीच नियमानुकूल वितरण कराना है। वर्तमान आवंटनादेश में ग्रामीण क्षेत्र में बी0 पी0 एल0,अन्त्योदय एवं ए0पी0एल0 परिवारों को 2.750 (दो लीटर सात सौ पचास मिलीलीटर) की दर से तथा शहरी क्षेत्र के बी0पी0एल0,अन्त्योदय एवं ए0पी0एल0 परिवारों को प्रति परिवार 2.225 (दो लीटर दो सौ पच्चीस मिलीलीटर) लीटर किरासन तेल उपभोक्ताओं को पूर्त से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्डधारियों को कृषक के आधार पर आपूर्ति की जानी है। इसके अतिरिक्त एकरूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक ठेला भेण्डर को 750.00 (सात सौ पचास) लीटर किरासन तेल की आपूर्ति किया जाना है।

अतः सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-9035/खाद्य दिनांक-02.12.2015 द्वारा माह दिसम्बर,2015 के लिए मधेपुरा जिला हेतु प्राप्त आवंटन को निम्नांकित वितरणी के अनुरूप प्रखण्डवार एवं अनुभाजन क्षेत्रवार/थोक विक्रेतावार उपावंटित किया जाता है :-

क्र0	प्रखण्ड अनुभाजन क्षेत्र का नाम	2001 के आधार पर जनसंख्या	पूर्त से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा राशन कार्ड के आधार पर प्रखंडों से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार माह-दिसम्बर,15 में वितरित किरासन तेल की मात्रा के विरुद्ध सन्निहित परि0 की सं0	उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली0में) ज0वि0प्र0ति/हॉकर	सम्बद्ध थोक किरासन तेल विक्रेता का नाम	थोक विक्रेतावार उपावंटित किरासन तेल की मात्रा (ली0में)
01	02	03	04	05	06	07
01	मधेपुरा प्रखण्ड	149589	48193	ज0वि0प्र0-132530.750 हॉकर (6X750) 4500.000 कुल-137030.750	1.मे0 मोतीलाल रामस्वरुप,मुरलीगंज 2.मे0 चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुगंज	124774.500 12256.250 कुल- 137030.750
02	नगर परिषद, मधेपुरा	45031	10885	ज0वि0प्र0- 24491.250 हॉकर (25X750) 18750.00 सरकारी संस्था 1518.000 कुल- 44759.250	1.मे0 चामुण्ड ऑयल एजेन्सी उदाकिशुगंज	कुल- 44759.250
03	सिंहेश्वर प्रखण्ड	102086	33428	ज0वि0प्र0- 91927.000 हॉकर (6X750) 4500.000 पुलिस अधीक्षक- 850.000 कुल-97277.000.	1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 97277.000
04	शंकरपुर प्रखण्ड	82519	28632	ज0वि0प्र0- 78738.000	1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर 2.मे0 जय बंजर एजेन्सी कुगातरखण्ड	75550.000 3088.000 कुल- 78738.000
05	गम्हरिया प्रखण्ड	65125	19973	ज0वि0प्र0- 54925.750	1.मे0 शिव शक्ति एजेन्सी सिंहेश्वर	कुल- 54925.750

06	धैलाढ प्रखण्ड	73129	22298	ज०वि०प्र०-61319.500 हॉकर (6X750) 500.000 कुल- 65819.500	1.मे० चामुण्डे ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल- 65819.500
07	मुरलीगंज प्रखण्ड	141212	43555	ज०वि०प्र०-119776.250 सरकारी संस्था- 50.000 कुल-119826.250	1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज 2 मे० जय बजरंग एजेन्सी, कुमारखंड	85111.000 34715.250 कुल-119826.250
08	मुरलीगंज नगर पं०	222936	6673	ज०वि० प्र०-15014.250 हॉकर (20X750) 15000.000 कुल- 30014.250	1.मे० मोतीलाल रामस्वरूप,मुरलीगंज	कुल-30014.250
09	कुमारखण्ड प्रखण्ड	187643	52282	ज०वि०प्र०-143775.500 हॉकर (1X750) 750.000 कुल-144525.500	1.मे० जय बजरंग एजेन्सी कुमारखण्ड।	कुल:-144525.500
10	उदाकिशुनगंज प्रखंड	136937	38146	ज०वि०प्र०-104901.500 हॉकर (16X750) 12000.00 सरकारी संस्था- 150.000 कुल-117051.500	1.मे०चामुण्डे ऑयल एजेन्सी उदाकिशुनगंज	कुल-117051.500
11	ग्वालपाड़ा	95295	25549	ज०वि०प्र०- 70259.750 हॉकर (4X750) 3000.000 कुल-73259.750	1.मे० श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल- 73259.750
12	बिहारीगंज	101655	29795	ज०वि०प्र०- 81936.250 हॉकर (29X750) 21750.00 कुल-103686.250	1.मे० श्यामा स्टोर, बिहारीगंज	कुल-103686.250
13	आलमनगर	129226	38483	ज०वि०प्र०-105828.250 हॉकर (7X750) 5250.000 कुल-111078.250	1.मे०शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल-111078.250
14	चौसा प्रखंड	116471	32037	ज०वि०प्र०- 88101.750 हॉकर (2X750) 1500.000 कुल- 89601.750	1.मे०शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	कुल- 89601.750
15	पुरैनी प्रखंड	77792	21091	ज०वि०प्र०- 58000.250 हॉकर (2X750) 1500.000 कुल-59500.250	1.मे० श्यामा स्टोर, बिहारीगंज 2.मे०शंभूनाथ चौधरी आलमनगर	44180.250 15320.000 कुल- 59500.250
कुल योग:-		1526646	451020	1327094.000		1327094.000

2. इस प्रकार जिले में वितरण हेतु आवंटित-112टैकर(108X12000)=1344000.000लीटर किरासन तेल में से प्रखंड/नगर बिकार्यों से प्राप्त माह-नवम्बर,2015 के मासिक प्रतिवेदन में वितरित मात्रा के अनुरूप उपवांटन किया गया है।
3. विभागीय निदेश के अनुपालन में ग्रामीण एवं सुदूर थानों में रोशनी के लिए उपवांटित किरासन तेल कुल 850 ली० किरासन तेल को पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के आदेश से वितरण किया जाय। पुलिस अधीक्षक मधेपुरा से अनुरोध है कि वे संबंधित थोक किरासन तेल विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान कर किरासन तेल प्राप्त कर त्रियगानुकूल उपयोग सुविशिद्ध करेंगे।
4. जिला सुरक्षित में आवंटित 4929 लीटर किरासन तेल को निम्न दिशाओं के अनुरूप संस्थानवार उपवांटित किया जाता है:-
1. अधीक्षक मंडल कारा, मधेपुरा -250 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
  2. अल्प संख्यक छात्रावास, मधेपुरा -194 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।
  3. राजकीय कल्याण छात्रावास, टी०पी० कॉलेज, मधेपुरा-174 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज
  4. आवा०अनु०जाति वि०भोकराहा(स्थानान्तरित, मुरलीगंज)-50 लीटर मेसर्स मोतीलाल रामस्वरूप मुरलीगंज।

5. व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा

-900 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।

5. उप कारा उदाकिशुनगंज

-150 लीटर मेसर्स चामुण्डे ऑयल एजेन्सी, उदाकिशुनगंज।

योग:- 1718 लीटर

उपर्युक्त कंडिका 04 में निर्धारित कोटे के अनुसार किरासन तेल उठाव संबंधित संस्थान के प्रधान के द्वारा संबंधित थोक विक्रेता को उचित मूल्य भुगतान करने के उपरान्त किया जाएगा एवं सभी संस्थान के प्रधान वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अल्लसंख्यक छात्रावास/राजकीय कल्याण छात्रावास मधेपुरा हेतु आवंटित किरासन तेल का मासिक उपयोगिता प्रमाण पत्र नगर परिषद मधेपुरा के प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा, मंडल कारा मधेपुरा को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा द्वारा, व्यवहार न्यायालय, मधेपुरा हेतु आवंटित तेल किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रभासी न्यायाधीश, मधेपुरा द्वारा, सुदूरवर्ती थानों में रोशनी की व्यवस्था हेतु उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा एवं आबासीय विद्यालय, मुस्लीगंज हेतु आवंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मुस्लीगंज द्वारा, उप कारा, उदाकिशुनगंज को उपावंटित किरासन तेल का उपयोगिता प्रमाण पत्र उप कारा, अधीक्षक, उदाकिशुनगंज, द्वारा प्रत्येक माह समर्पित किया जायेगा।

5. सरकार के संयुक्त सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-9035/खाद्य दिनांक-02.12.2015 से प्राप्त निदेश के ही अनुरूप हॉकरों के लिए आवंटित किरासन तेल का वितरण जिले में लगने वाले हॉट/बाजार में स्थानीय प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/प्रखण्ड आपूर्ति निरीक्षक एवं निगरानी समिति की देख रेख में अनुमोदित सूची / संस्था के अनुसार अनुमोदित वितरण स्थल पर ही किया जायेगा एवं तत्संबंधी वितरण पंजी का विधिवत संघारण किया जायेगा। अद्योहस्ताक्षरी के आदेश के बिना वितरण स्थल में फेरबदल नहीं किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी अनियमितता की संपूर्ण जवाबदेही संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की होगी। सभी संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वितरण के पश्चात् अगले माह की 5वीं तिथि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र-IX अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमोदित कराकर जिला आपूर्ति शाखा, मधेपुरा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा / उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रत्येक माह की 5वीं तिथि तक विगत माह से संबंधित किरासन तेल वितरण का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अगले माह के उपावंटन हेतु प्रपत्र IX तैयार कर उपलब्ध नहीं कराने वाले प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव प्रपत्र "क" में तैयार कर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. खाद्य आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पत्रांक-1871, दिनांक-13.07.2005 के अनुरार किरासन तेल की प्रत्येक टैंक लौरी को थोक विक्रेता के यहाँ पहुँचने पर थोक किरासन तेल विक्रेताओं को संबंधित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना देनी है। सूचना के पश्चात प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा टैंक लौरी का भौतिक सत्यापन किया जाना है और उसके बाद ही टैंक लौरी को थोक किरासन तेल विक्रेता के टैंक में ऑफ्लोड किया जाना है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र थोक किरासन तेल विक्रेताओं के भंडार पंजी में दर्ज करना है।

सरकार के उक्त आदेश का अनुपालन प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। और यदि किया जा भी रहा है तो मात्र औपचारिकता की जा रही है। अतः सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि उन्हें ज्योंही टैंक लौरी आने की सूचना मिलती है, तो प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोबाईल संदेश के द्वारा इसकी सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समाहर्ता (वरीय पदाधिकारी आपूर्ति) को देंगे और इसके पश्चात थोक विक्रेता के यहाँ पहुँचकर उसका भौतिक सत्यापन करेंगे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि सरकार के निदेश के आलोक में पंचायतवार सेक्टर तैयार करेंगे और सेक्टर के अनुसार ही थोक विक्रेता जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को किरासन तेल की आपूर्ति करेंगे। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इस निदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर किरासन तेल के वितरण में हुई किसी भी अनियमितता के लिए उत्तरदायी मानते हुए, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी।

7. संगत विभागीय निदेश के अनुपालन में उपावंटित किरासन तेल को नियमानुसार शत प्रतिशत उठाव एवं वितरण सुनिश्चित करने के निमित्त संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारित की जाती है।

8. सरकार के सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-3550/खाद्य, दिनांक-18.06.2014 एवं पत्रांक-1842/खाद्य, दिनांक-08.03.2011 के अनुपालन में पंचायत स्तरीय निगरानी समिति/वार्ड स्तरीय निगरानी समिति की देख-रेख में पूर्व से प्राप्त लाल/पीला एवं हरा कार्ड के आधार पर बी0पी0एल0/अन्योदय/ए0पी0एल0 परिवारों को सरकार

